31-10-22

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता तथा अपीलार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 13-10-22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की अवार्ड से राजीनामा कर लिया गया है। अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। जिसे पत्रावली का कार्यवाही से निस्तारण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के अंशतः विरुद्ध है। जिसको अपीलार्थी अधिवक्ता तथा तहसीलदार किया गया। प्रकरण में लोक अदालत की अवार्ड से राजीनामा होने से पत्रावली की कार्यवाही से निस्तारण की जाती है। पत्रावली नस्ती से कम करें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा